निबन्धन विभाग के दायित्व एवं कार्य

कार्य— सभी प्रकार के विलेख जैसे बैनामे, दाननामे, वसीयत, मुख्तारनामे, इकरारनामे, पट्टे आदि का निबंधन करना, उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करना आदि।

- कलेक्टर/जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष बाद सम्पत्ति की बाजारी कीमत (सर्किल रेट) निर्धारित किया जाता है।
- निबन्धन शुल्क (Registration) सम्पत्ति के मूल्यांकन पर 2 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाता है, जो अधिकतम रु० 5,000/- प्रत्येक लेखपत्र पर निर्धारित है।
- लेखपत्रों पर शहर के 5 कि०मी० की दूरी तक मूल्यांकन के प्रति एक हजार पर रु० 100/- एवं 5 कि०मी० के बाद रु० 80/- प्रति हजार की दर से स्टाम्प शुल्क देय होता है।
- पक्षकारों के घर पर जाकर सचल निबन्धन सेवा (मोबाइल रजिस्ट्री) के अन्तर्गत रजिस्ट्री भी की जाती है जिसके लिए प्रत्येक लेखपत्र हेतु रु० 55/- शुल्क देय है। जिला रजिस्ट्रार (अपर जिलाधिकारी, वित्त/राजस्व) या उप रजिस्ट्रार को अपने घर रजिस्ट्री कराने के लिये प्रार्थी को आवेदन देना होता है।

स्टाम्प अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें

इस अधिनियम द्वारा विभिन्न प्रकार के लेखपत्रों पर शुल्क आरोपित किया जाता है और यह आवश्यक है कि ऐसा स्टाम्प शुल्क लेखपत्र पर पक्षकारों के हस्ताक्षर होने के समय या उसके पहले अदा किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि लेखपत्र पर पक्षकारों के हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसका स्टाम्प शुल्क अदा किया जाता है तो वह अमान्य होगा। यदि किसी लेखपत्र में निर्धारित मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जाता है तो ऐसा लेख पत्र धारा 33 के तहत जब्त किया जा सकता है जो लेखपत्र के निष्पादन के 4 वर्ष के अन्दर एवं चार वर्ष की अवधि के पश्चात किन्तु आठ वर्ष की अवधि के पूर्व राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जब्त किया जा सकता है तथा ऐसे लेखपत्र पर कमी स्टाम्प शुल्क की 10 गुने तक अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। यदि किसी लेखपत्र में इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित बाजार मूल्य कम हो तो उप निबन्धक लेखपत्र को निष्पादन से पूर्व ऐसी सम्पत्ति पर बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिए कलेक्टर को सन्दर्भित करेगा और कलेक्टर पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने और ऐसी रीति, इस अधिनियम के अधीन बनाये जांच करने के पश्चात् सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो ऐसी लिखित की विषयवस्तु हो और उस पर देय उचित शुल्क अवधारित करेगा।

कलेक्टर स्वप्रेरणा से या किसी न्यायालय का स्टाम्प आयुक्त/अपर स्टाम्प आयुक्त/उप स्टाम्प आयुक्त/सहायक स्टाम्प आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश पर किसी लिखत को, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क देय है और उस पर देय शुल्क की सत्यता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए निबन्धन की तारीख से चार वर्ष के भीतर एवं राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आठ वर्ष के अन्दर मंगा सकता है और यदि लिखत पर स्टाम्प शुल्क देय हो तो, कमी शुल्क व अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

निबंधन विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

● लेखपत्रों का पंजीकरण	उप निबंधक कार्यालयों तथा जिला निबंधक कार्यालयों द्वारा
● स्टाम्प शुल्क का निर्धारण	कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा
● स्टाम्प पत्रों की बिक्री	कोषागार कार्यालय द्वारा स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से
● दस्तावेज लेखन	लाइसेंस प्राप्त दस्तावेज लेखकों द्वारा
● सम्पत्ति का मूल्यांकन–दर	कलेक्टर द्वारा
● पंजीकृत लेखपत्रों की प्रतिलिपि	उप निबंधक कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराना।
● हिन्दू विवाह के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र	उप निबंधक एवं जिला निबंधक कार्यालयों द्वारा जारी करना
● वसीयत नामा जमा करना	जिला निबंधक कार्यालयों द्वारा